संख्या– /VI-4/2026–59(02)2026 (E-97861)

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक : जुलाई, 2026

विषय :– पी0आर0डी0 जवानों को ड्यूटी के दौरान चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में उपचार के दौरान ड्यूटी पर मानते हुए अधिकतम छः माह का मानदेय/ड्यूटी भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत प्रान्तीय रक्षक दल के स्वंयसेवकों की कार्यप्रणाली को देखते हुए पी0आर0डी0 जवानों को ड्यूटी के दौरान चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में उपचार के दौरान ड्यूटी पर मानते हुए अधिकतम छः माह का मानदेय/ड्यूटी भत्ता अनुमन्य किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस हेतु निम्नवत् मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) निर्धारित की जाती है :–

(1) पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों के ड्यूटी/प्रशिक्षण के दौरान घायल/बीमार होने पर चिकित्सालय में वास्तव में इन–पेशेंट (In-Patient) के रूप में भर्ती होने की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा भर्ती होने से स्वस्थ घोषित किये जाने तक की अवधि (जो पूरे सेवाकाल में 06 माह से अधिक नहीं होगी) में ड्यूटी पर मानते हुए उक्त अवधि के मानदेय का भुगतान तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जायेगा।

(2) इस हेतु सम्बन्धित स्वयंसेवक द्वारा चिकित्सालय में भर्ती होने एवं उपचार का प्रमाण पत्र सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए दिया जाना अनिवार्य होगा।

(3) 06 माह की उक्त अवधि से संबंधित विवरण सम्बन्धित विकासखण्ड के क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी द्वारा एक पंजिका तैयार कर सुरक्षित रखा जाएगा।

(4) चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में इसकी सूचना सम्बन्धित पी0आर0डी0 स्वयंसेवक द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को प्रदान की जानी अनिवार्य होगी।

(5) स्वस्थ होने के उपरान्त स्वयंसेवक द्वारा चिकित्सक का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अवधि छः माह (180 दिन) में से घटाते हुए माह/दिनों का अभिलेख में अंकन किया जाएगा एवं उक्त हेतु एक आदेश अनिवार्य रूप से जारी किया जाएगा। जिसके द्वारा सम्बन्धित पी0आर0डी0 स्वयंसेवक, तैनाती स्थल के सक्षम अधिकारी एवं जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को सूचित किया जायेगा।

(6) उक्त आदेश के आधार पर ही ड्यूटी पर तैनात स्वयंसेवक को चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में उपचार अवधि का मानदेय प्रदान किया जा सकेगा। विभागीय ड्यूटी पर तैनात स्वयंसेवकों को विभाग द्वारा एवं गैर विभागीय ड्यूटी पर तैनात स्वयंसेवकों को सम्बन्धित विभाग द्वारा मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

(7) विषयगत 06 माह की अवधि के लेखे हेतु तैयार की गयी पंजिका में चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं उक्त के उपरान्त जारी आदेश को अनिवार्य रूप से संलग्न कर सुरक्षित रखा जायेगा।

(8) पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को उक्त सुविधा ड्यूटी में तैनात होने की स्थिति में उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम छः माह (180 दिन) की ही प्रदान की जाएगी।

2. यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित पत्र संख्या–I/412692/2026 दिनांक 12 जुलाई, 2026 के द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by "AMIT KUMAR SINHA " Date: 14-07-2026 16:24:03

(अमित कुमार सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या /VI-4/2026–59(02)2026 (E-97861) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव/विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–3 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, युवा कल्याण उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 (घोषणा) को मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–31/2026 ''पी0आर0डी0 जवानों को भी अब ड्यूटी के दौरान चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में उपचार के दौरान ड्यूटी पर ही माना जाएगा और उन्हें अधिकतम छः माह का मानदेय प्रदान किया जाएगा'' की पूर्ति के क्रम में प्रेषित।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Digitally signed by GARIMA RAUNKALI Date: 14-07-2026 16:35:09

(गरिमा रौंकली)
अपर सचिव